

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 267 /2024 दिनांक 08.11.2024

श्रीमती अक्षि कंसल (RJ00667), विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय को दिनांक 22.07.2024 से 20.08.2024 तक 30 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 21.07.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती कंसल की अनुपस्थिति में अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर—द्वितीय ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय के पद पर ही की गई।

NOTE:— श्रीमती कंसल ने प्रथम 365 दिनों के संतान परवरिश अवकाश का उपभोग कर लिया है। अतः श्रीमती कंसल के उपरोक्त वर्णित 30 दिवस संतान परवरिश अवकाश में से 16 दिवस के वेतन का आहरण State Govt. Notification No. F.1(6) FD/Rules/2011 dt. 31.07.2020 & P.I/31/2020 dt. 27.10.2020 के अनुसार 80 % ही किया जाएगा।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/35/2011/ 8920

दिनांक 08.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय को उनके पत्रांक 6040 दिनांक 17.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अक्षि कंसल (RJ00667), विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय।
5. अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर—द्वितीय।


सहायक रजिस्ट्रार